

सी.जी.-डी.एल.-सा.-27062022-236829 CG-DL-W-27062022-236829

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 25]

नई दिल्ली, जून 19- जून 25, 2022, शनिवार/ ज्येष्ठ 29- आषाद्व 4, 1944

No. 25

NEW DELHI, JUNE 19-JUNE 25, 2022, SATURDAY/ JYAISTHA 29-ASADHA 4, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 3 जून, 2022

का.आ. 578.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा, श्री राजिकरन राय जी. के स्थान पर सुश्री ए. मणिमेखलई (जन्म तिथि: 4.3.1966), कार्यपालक निदेशक, केनरा बैंक को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूनियन बैंक आफ इंडिया में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एंड सीईओ) के पद पर नियक्त करती है।

[ई. फा. सं. 4/4/2021-बीओ-]] संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 3rd June, 2022

S.O. 578.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Ms A. Manimekhalai (DoB: 4.3.1966), Executive Director, Canara Bank as Managing Director and Chief Executive Officer (MD & CEO) in Union Bank of India for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier, vice Shri Rajkiran Rai G.

[eF. No. 4/4/2021-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जून, 2022

का.आ. 579.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री एस. कृष्णन के स्थान पर श्री स्वरूप कुमार साहा (जन्म तिथि: 8.2.1967), कार्यपालक निदेशक, पंजाब नैशनल बैंक को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब एंड सिंध बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एंड सीईओ) के पद पर नियुक्त करती है।

[ईफा. सं. 4/4/2021-बीओ-I] संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd June, 2022

S.O. 579.— In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Central Government hereby appoints Shri Swarup Kumar Saha (DoB: 8.2.1967), Executive Director, Punjab National Bank as Managing Director and Chief Executive Officer (MD & CEO) in Punjab & Sind Bank for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier, vice Shri S. Krishnan.

[eF. No. 4/4/2021-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 जून, 2022

का.आ. 580.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 19 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के उप-प्रबंध निदेशक (डीएमडी) श्री आलोक कुमार चौधरी (जन्म तिथि: 6.6.1964) को पदभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी अधिवर्षिता की आयु (अर्थात 30.6.2024) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक (एमडी) के पद पर नियुक्त करती है।

[ईफा. सं. 2/1/2021-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 7th June, 2022

S.O. 580.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 19 read with sub-section (1) of section 20 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, hereby appoints Shri Alok Kumar Choudhary (date of birth: 6.6.1964), Deputy Managing Director (DMD), State Bank of India (SBI) as Managing Director (MD) in State Bank of India with effect from the date of assumption of office and up to the date of his superannuation (i.e. 30.6.2024), or until further orders, whichever is earlier.

[eF. No. 2/1/2021-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

का.आ. 581.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री वेणु श्रीनिवासन (जन्म तिथि: 11.12.1952) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से चार वर्ष की अविध के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[ईफा. सं. 6/6/2022-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 14th June, 2022

S.O. 581.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby nominates Shri Venu Srinivasan (DOB: 11.12.1952) as part-time Non-official Director on the Central Board of Reserve Bank of India for a period of four years from the date of notification of his appointment, or until further orders, whichever is earlier.

[eF. No. 6/6/2022-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

का.आ. 582.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, डॉ. रिवन्द्र एच. ढोलिकया (जन्म तिथि: 2.4.1953) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से चार वर्ष की अविध के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[ईफा. सं. 6/6/2022-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 14th June, 2022

S.O. 582.— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby nominates Dr Ravindra H. Dholakia (DOB: 2.4.1953) as part-time Non-official Director on the Central Board of Reserve Bank of India for a period of four years from the date of notification of his appointment, or until further orders, whichever is earlier.

[eF. No. 6/6/2022-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

का.आ. 583.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री पंकज रमनभाई पटेल (जन्म तिथि: 16.3.1953) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से चार वर्ष की अविध के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[ईफा. सं. 6/6/2022-बीओ-I] संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 14th June, 2022

S.O. 583.— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby nominates Shri Pankaj Ramanbhai Patel (DOB: 16.3.1953) as part-time Non-official Director on the Central Board of Reserve Bank of India for a period of four years from the date of notification of his appointment, or until further orders, whichever is earlier.

[eF. No. 6/6/2022-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

का.आ. 584.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री आनंद गोपाल महिन्द्रा (जन्म तिथि: 1.5.1955) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से चार वर्ष की अविध के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[ईफा. सं. 6/6/2022-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 14th June, 2022

S.O. 584.— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby nominates Shri Anand Gopal Mahindra (DOB: 1.5.1955) as part-time Non-official Director on the Central Board of Reserve Bank of India for a period of four years from the date of notification of his appointment, or until further orders, whichever is earlier.

[eF. No. 6/6/2022-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.